न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, क्रम संख्या 2, उदयपुर, राजस्थान

पीठासीन अधिकारी : **दमयंती पुरोहित, RJS**
(जिला न्यायाधीश संवर्ग)

विविध आपराधिक प्रकरण संख्या	:	1246/2026
CNR No.	:	RJUD01–002979–2026
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	:	129–2026 थाना गोगुंदा
अपराध अन्तर्गत धारा	:	126(2), 115(2), 109(1), 61(2) बीएनएस एवं धारा–4/25 आयुध अधिनियम

विरेन्द्र उर्फ विज्जु पिता पनसिंह आयु 22 साल निवासी खंडावली घोडच, थाना खमनोर, जिला राजसमंद
. . . . प्रार्थी/अभियुक्त

(माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा S.B. Cri. Misc. Appl. No. 376/18 में पारित आदेश दिनांक 04.07.2018 की पालना में अभियुक्त की जाति अंकित नहीं की गई है।

– बनाम –

राजस्थान राज्य जरिये लोक अभियोजक, उदयपुर
. . . . विपक्षी /अभियोगी

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता</u>

उपस्थिति:–
(1) श्री पर्वतसिंह झाला, अधिवक्ता–प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
(2) श्री दिनेश गुप्ता, अपर लोक अभियोजक–राज्य की ओर से।
(3) श्री नरेन्द्र चौधरी, अधिवक्ता, परिवादी की ओर से।

– आदेश – दिनांकः 08.07.2026

इस आदेश द्वारा प्रार्थी–अभियुक्त विरेन्द्र उर्फ विज्जु की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का निस्तारण किया जा रहा है।

नकल जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान अपर लोक अभियोजक को दिलाई गई। बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 30–4–2026 को परिवादी हरीश ने एक लिखित रिपोर्ट थानाधिकारी पुलिस थाना गोगुंदा के समक्ष इस आशय की पेश की कि दिनांक 2–4–2026 को समय करीब सायं 8.30 बजे उसके बडे पापा शंकरलाल अपनी मोटरसाइकिल नंबर RJ 27 13M 8154 से हमेशा की तरफ दुध संग्रहण करने अपने गांव से वणी गांव गये जहां से ग्राहको से दुध संग्रहण कर वापस गोगुंदा की तरफ आ रहे थे कि राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 27 आशापुरा होटल से पहले पहुंचे कि अचानक एक मोटरसाइकिल पर तीन अज्ञात व्यक्ति पीछे से आये उसके बडे पापा की मोटरसाइकिल के आडे लगाकर गाडी को रूकवा दी और तीनों ने अपने पास रखे चाकू निकाले व डराते हुए तीनों ने कहा कि जेब में रखे रूपये व बैग में रखे रूपये निकाल नहीं तो यही मार देंगे। उसके बडे पापा डर गये और वहां से निकलने लगे तो तीनों ने पकडकर उनकी जेब में रखे रूपये व बैग में रखे रूपये बैग सहित लुटने लगे इस पर बडे पापा ने बीच बचाव कर मना करने लगे तो तीनों ने ताबड तोड लूट व जान से मारने की नीयत से पैरों, हाथ, पीठ पर वार किये जिससे उसके बडे पापा लहुलूहान होकर गिर गये। एक चाकू उसके बडे पापा के शरीर में घुस गया जो उनके शरीर में ही रह गया व तीनों उसके बडे पापा से करीब 75000/– रूपये बैग सहित लूट कर भाग गये। सूचना पाकर वह तथा उसका भाई नरेश मौके पर पहुंचे और सारी बात उसके बडे पापा ने उसे व उसके भाई को बताई। फिर बडे पापा को गोगुंदा अस्पताल लेकर आये जहां बाद उपचार स्थिति गंभीर होने से उदयपुर रेफर किया जहां उनका इलाज चल रहा है और बडे पापा की स्थिति नाजूक है। वे इलाज में व्यस्त होने से आज रिपोर्ट पेश कर रहे है.....इत्यादि। उक्त रिपोर्ट पर

पुलिस थाना गोगुंदा पर प्रकरण संख्या 129/2026 अपराध धारा–109(1), 309(6), 126(2), 3(5) बीएनएस में दर्ज किया जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। गवाहान के बयान लिये गये। प्रार्थी–अभियुक्त को गिरफतार किया गया। प्रकरण वर्तमान में अनुसंधानाधीन है।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में किए गए कथनों को दोहराते हुए तर्क दिया गया कि प्रार्थी–अभियुक्त निर्दोष है। अनुसंधान अधिकारी ने निष्पक्ष अनुसंधान किये बिना संदेह के आधार पर प्रार्थी–अभियुक्त को प्रकरण में झूठा फंसाया है। प्रार्थी–अभियुक्त सिर्फ दोस्त होने से उसका नाम लिखाया है, प्रार्थी–अभियुक्त का घटना में कोई रोल नहीं है। शिनाख्तगी कार्यवाही में प्रार्थी–अभियुक्त को नहीं पहचाना है। प्रार्थी–अभियुक्त से किसी प्रकार की बरामदगी नहीं हुई है,न ही शेष है। प्रार्थी–अभियुक्त से अनुसंधान शेष नहीं है, प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। प्रार्थी–अभियुक्त न्यायालय के आदेशानुसार जमानत मुचलके पेश करने को तैयार है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी–अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जावे।

विद्वान अपर लोक अभियोजक एवं विद्वान अधिवक्ता परिवादी ने उक्त तर्कों का विरोध करते हुए तर्क दिए कि लक्ष्मणसिंह व आहत दूध का व्यवसाय करते है जिसको लेकर विवाद है। प्रार्थी–अभियुक्त ने दो मुलजिमान से मिलकर आहत के चाकू मारा था जिसका वीडियो भी है। आहत की हत्या करने की योजना थी। लक्ष्मणसिंह से पैसा लेकर हत्या करने का प्रयास किया गया है। अतः जमानत आवेदन खारिज किया जावे।

केस डायरी के अनुसार प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के निम्न आपराधिक प्रकरण दर्ज होकर विचाराधीन है–

क्र.सं.	प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या एवं थाना	अपराध धारा	नतीजा
1	113/21 थाना घासा	457,380 भादंसं	जैर ट्रायल
2	283/23	376(3), 376(D), 342, IPC & 3,4,5(G) 6 Pocso Act	दोषमुक्त 6.5.2025
3	290/23 थाना गोगुंदा	395,452,323,427, 436,511,34 IPC	जैर ट्रायल
4	77/25	140(3), 309(4) BNS	जैर ट्रायल

`

उभय पक्षों के तर्को पर मनन किया, अनुसंधान पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी–अभियुक्त दिनांक 05.06.2026 से गिरफ्तारी एवं न्यायिक अभिरक्षा के अधीन है। प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध दिगर मुलजिमान के साथ मिलकर आपराधिक षडयंत्र में शरीक होकर परिवादी के बडे पापा को मोटरसाइकिल पर जाते हुए को रास्ते में रोककर कुंद एवं धारदार हथियार चाकू से मारपीट करने एवं उसे जान से मारने का प्रयत्न करने का अपराध धारा–126(2),115(2), 109(1), 61(2) भारतीय न्याय संहिता का आरोप है।

अब तक के अनुसंधान से पाया गया कि आहत एवं अभियुक्त लक्ष्मणसिंह दोनों दूध का व्यवसाय करते है तथा उनके मध्य प्रतिस्पर्धा होने से आहत शंकरलाल की हत्या करने का षडयंत्र रचकर उसके साथी अभियुक्त मनोहरसिंह को घटना करने हेतु बदमाश को उपलब्ध कराने हेतु कहा गया जिस पर अभियुक्त मनोहरसिंह ने अभियुक्त मनीष को तैयार कर घटना का सोदा एक लाख रूपये में तय कर घटना से पूर्व अभियुक्त लक्ष्मणसिंह से अभियुक्तगण मनीष, टीकमचंद व वीरेन्द्रसिंह की मुलाकात करवाई। तत्पश्चात अभियुक्तगण मनीष, टीकमचंद व वीरेन्द्रसिंह ने आहत पर हमला किया और प्रार्थी–अभियुक्त ने आहत को पकड रखा था और सह अभियुक्त मनीष उर्फ मुन्ना ने चाकू से वार किया था। चिकित्सक द्वारा ऑपरेशन कर चाकू को निकाला गया है। चोट प्रतिवेदन में परिवादी/आहत शंकरलाल के कुल 05 चोट कारित होकर एक चोट गंभीर प्रकृति की होकर प्राणघातक होना दर्शित किया गया है। इसके अलावा प्रार्थी–अभियुक्त के विरूद्ध पूर्व के कुल 4 आपराधिक प्रकरण विचाराधीन होने बाबत रिकार्ड संलग्न पत्रावली है जिनमें से एक प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने का अंकन है। अतः समस्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं अपराध

की गंभीरता को देखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः प्रार्थी–अभियुक्त **विरेन्द्र उर्फ विज्जु** की ओर से प्रस्तुत प्रथम जमानत प्रार्थनापत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

{दमयंती पुरोहित}

आदेश आज दिनांक 08.07.2026 को विवृत्त न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

{दमयंती पुरोहित}